

आर्थिक दृष्टिकोण और बुनियादी संरचनागत परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में मौद्रिक नीति की भूमिका*

एस.एस.मूंदड़ा

सम्मेलन के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों! मेरे लिए यह हर्ष का विषय है कि मैं आज आपके बीच हूँ। मैं सिटिबैंक और विशेष रूप से, श्री प्रमीत झवेरी को धन्यवाद देता है जिन्होंने मुझे इस सम्मेलन में आमंत्रित किया है। मैं कहना चाहूंगा कि इस सम्मेलन का विषय वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बहुत अधिक सामयिक विषय बन गया है। हम 2007-08 से भारतीय अर्थव्यवस्था में आयी कमजोरी की तुलना में सुधार के प्रति सकारात्मक संकेत देख रहे हैं। आपने पहले ही दो मुख्य वक्ताओं अर्थात् सम्माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और दिनेश शर्मा अपर सचिव, डीईए को सुना है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाला है।

2. मुझसे भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण और मौद्रिक नीति की भूमिका, विशेष रूप से बुनियादी संरचनागत परियोजनाओं को वित्त देने के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। इसलिए, आज अपने संबोधन में, मैं देश में मौजूदा आर्थिक परिदृश्य पर भारतीय रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण पर चर्चा करना चाहूंगा और इसके साथ-साथ बुनियादी संरचनागत क्षेत्र के निधि-प्रवाह के लिए हाल में हमारे द्वारा किए गए उपायों का भी उल्लेख करना चाहूंगा। मैं इस फोरम का उपयोग ऐसी कतिपय पर्यवेक्षी चिंताओं का उल्लेख करने के लिए करूंगा, जो बैंकों द्वारा बुनियादी संरचनागत क्षेत्र को वित्त देने में महसूस की गई हैं।

(अ) आर्थिक दृष्टिकोण

3. जैसा कि आपको ज्ञात है कि धीमी वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को अवहनीय उच्च चालू खाता घाटा

(सीएडी), पिछले वर्ष के दौरान पूंजीगत बहिर्वाह और अनुवर्ती विनिमय दर संबंधी दबाव से उत्पन्न बाह्य स्थिरता की गंभीर चुनौतियों का समाना करना पड़ा था। इस दिशा में, रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा किए गए उपायों ने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद की है। बेहतर राजनीतिक स्थिरता, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता, अधिक मजबूत मौद्रिक नीति ढांचा और बेहतर नीति कार्यान्वयन के चलते आशा है कि पिछले दो वर्षों में अनुभव की गई 5.0 प्रतिशत से कम वृद्धि की तुलना में 2014-15 में लगभग 5.5 प्रतिशत वृद्धि रहने की संभावना है।

4. इस वर्तमान स्थिति में, रिजर्व बैंक का समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण 2014-15 की चौथी तिमाही से वृद्धि में सुधार होने और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रतिबद्धता के चलते समष्टि-शेषों में सुधार, विशेष रूप से कम चालू खाता घाटा होना एक स्थिर अपस्फीति है। पूंजीगत प्रवाह में सुधार होने से सीएडी का वित्तपोषण करने के बाद विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि देखी गई है। तथापि, समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण वैश्विक और देशी दोनों प्रकार के जोखिम के तहत है। वैश्विक सुधार की गति धीमी होने जैसी प्रतिकूल वैश्विक गतिविधियां, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उदार मौद्रिक नीतियों को अपेक्षित समय से पहले समाप्त करने के कारण वित्तीय बाजार में पैदा हुई हलचल, भू-राजनैतिक दबावों और/अथवा मौसम संबंधी आपूर्ति अड़चन के कारण पण्य कीमतों में वृद्धि सभी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए हानिकारक हो सकती है।

वृद्धि -मुद्रास्फीति पर विचार-विमर्श

5. अध्ययन में इस्तेमाल की गई पद्धति और समय सीमा के आधार पर भारत के लिए प्रारंभिक मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। तिमाही आंकड़ों पर बहुभिन्नरूपी पद्धति का इस्तेमाल करके रिजर्व बैंक¹ द्वारा किए गए कई अनुमानों से पता चलता है कि सीपीआई-संयुक्त मुद्रास्फीति का स्तर (सीपीआई-आईडब्ल्यू का इस्तेमाल करके अखिल भारतीय स्तर पर अनुमान किया गया), जो अधिक वृद्धि के लिए हानिकारक है, लगभग 6 प्रतिशत रहने की संभावना है।

* 17 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में सिटीज इनवेस्टर सम्मेलन: भारत उच्च वृद्धि हेतु तैयार' में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस.एस.मूंदड़ा द्वारा दिया गया अभिभाषण।

¹ 'लगातार उच्च मुद्रास्फीति वृद्धि के लिए क्यों नुकसानदायक है? भारत के लिए मुद्रास्फीति का प्रारंभिक स्तर का अनुभवजन्य मूल्यांकन' (सितंबर 2011 के लिए आरबीआई वार्किंग पेपर सिरीज सं. 17)।

6. भारत में वृद्धि-मुद्रास्फीति का समंजन बहुत जटिल है, विशेष रूप से, जब मुद्रास्फीति प्रारंभिक स्तर से अधिक हो। इसलिए, आरबीआई में हम मानते हैं कि संभवतः मौद्रिक नीति उच्च मुद्रास्फीति का वहन करके वृद्धि को नहीं बढ़ा सकती है। इसके बदले, जब मुद्रास्फीति स्थाई आधार पर प्रारंभिक स्तर से कम होती है, उस समय वृद्धि की समस्याओं का समाधान करने से मुद्रास्फीति के लिए जोखिम कम होता है। इसलिए, हमें लगता है कि भारत के लिए जरूरी है कि वह दीर्घकालिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक साधन के रूप में मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करे।

बाह्य क्षेत्र

7. अभी तक वर्ष दौरान रिजर्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियां बढ़कर लगभग ₹1.2 ट्रिलियन हो गई हैं। सभी वर्गों के पूंजी प्रवाह में बढ़ोतरी हुई, विशेष रूप से एफडीआई, एफआईआई, ईसीबी और अनिवासी जमाराशियों के तहत हुए पूंजी प्रवाह में बढ़ोतरी हुई है। इन प्रवाहों के बावजूद, बाजार से चलनिधि की अधिक मांग न होने के कारण आरक्षित मुद्रा के प्रेरकों को निवल विदेशी आस्तियों, जिन्होंने अधिकांश निवल देशी आस्तियों में आई गिरावट को पूरा किया, में हुई बढ़ोतरी के चलते बस एक-दूसरे की भरपाई कर रहे हैं।

8. जहां, समग्र समष्टि आर्थिक स्थिति में सुधार होना कम सीएडी को दर्शाता है, वहीं राजकोषीय सुदृढीकरण, आशावादी बाजार का दृष्टिकोण और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होने के कारण बाह्य प्रभाव विस्तार को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में देश की क्षमता बढ़ी है। भारत में हाल ही में निवेशकर्ता की बढ़ी रुचि देश की अतर्निर्हित संभावना के बारे में पुनर्जीवन संबंधी आंकलन को दर्शाती है। भारतीय रिजर्व बैंक बाह्य प्रभाव-विस्तार को नियंत्रित करने के लिए तैयार है और भारत के पास पूंजी अंतर-प्रवाहों में हुई बढ़ोतरी और वैश्विक वित्तीय संकट तथा पिछली मई में टेपरिंग की घोषणा में बाद अनुभव किए गए अचानक बहिर्वाह को नियंत्रित करने का अनुभव है।

9. मैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौजूदा ध्यान देने वाले क्षेत्रों को दशाते हुए अपनी बात रखकर इस भाग को समाप्त करना चाहूंगा। पिछले वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा किए विकासपरक उपाय पांच बिंदुओं से संबंधित हैं: मौद्रिक नीति ढांचे को मजबूत करना; नए बैंकों

आर्थिक दृष्टिकोण और बुनियादी संरचनागत परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में मौद्रिक नीति की भूमिका

के प्रवेश और नए बैंकों को लाइसेंस देने के जरिए मौजूदा बैंकिंग ढांचे को मजबूत करना; वित्तीय बाजार को और अधिक विस्तार प्रदान करना; वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और वित्तीय प्रणाली की क्षमता को सुधारना ताकि कारपोरेट की कठिनाई और वित्तीय संस्था से संबंधित कठिनाई का समाधान किया जा सके। जहां, रिजर्व बैंक की विकासपरक और विनियामक नीतियां उपर्युक्त पांच स्तंभीय दृष्टिकोण के आसपास रही हैं, वहीं गैर-बैंक वित्त कंपनियों से संबंधित विनियामक दिशा-निर्देशों का समन्वयन करना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी दिशानिर्देशों को संगत बनाना, धोखाधड़ी जोखिम का प्रबंधन और वाणिज्यिक बैंकों में धोखाधड़ी वाले मामलों के निपटान करने को सुदृढ़ करना, ग्राहक के अधिकारों के लिए चार्टर बनाना, पीड़ाग्रस्त वित्तीय फर्मों के समाधान के लिए एक ढांचा विकसित करना और फर्म, जिसमें पोंजी योजनाएं चलाने वाली फर्म शामिल हैं, की गतिविधियों के बेहतर विनियमन, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए राज्य स्तर पर समन्वय समिति ढांचे को प्रोत्साहित करने जैसे अन्य महत्वपूर्ण पहल करने हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आरबीआई स्रोतों को उन्नतशील अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक, बेहतर और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं।

(आ) बुनियादी संरचना क्षेत्र : भारत की आर्थिक वृद्धि का ईंजन

10. अब मैं इस सम्मेलन के विषय बुनियादी संरचना और संभाव्य अनकूल प्रभाव अर्थात् इस क्षेत्र में किए जाने वाले निवेश में सुधार होने से अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना बढ़ सकती है, पर चर्चा करना चाहूंगा। बुनियादी संरचनागत विकास किसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक वृद्धि के प्रमुख निर्धारण मानदंडों में एक है। बुनियादी संरचना ऐसी सहयोगी संरचना से संबंधित है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने, बाजार को तैयार वस्तुएं वितरित करने और स्कूल और अस्पताल जैसी मूलभूत सामाजिक सेवाएं प्रदान करती हैं। सही मायने में, बुनियादी संरचना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरक एजेंट का कार्य करती है।

11. क्रय शक्ति क्षमता की गणना के आधार विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, भारत की स्थित विश्व

स्तरीय बुनियादी संरचना के अभाव में कमजोर है। बुनियादी संरचना में भारत का औसत निवेश चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम सभी के औसत 7.3 की तुलना में 1992-2010 के दौरान जीडीपी का 4.7 प्रतिशत रहा। विश्व आर्थिक फोरम वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार बुनियादी संरचना की अपर्याप्त आपूर्ति, जिसे कारोबार करने के लिए बहुत अधिक समस्यापरक कारकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, के साथ-साथ बुनियादी संरचना की गुणवत्ता के संबंध में भारत को 144 देशों की सूची में 90वें स्थान पर रखा गया है।

12. अनुमानों से पता चलता है कि उपयुक्त बुनियादी संरचना के अभाव में प्रत्येक वर्ष भारत का जीडीपी 1-2 प्रतिशत कम रहता है। मुझे लगता है कि दीर्घावधि में किसी भी क्षेत्र में प्रगति के लिए लगातार मांग और समर्थकारी कारोबार परिवेश का होना बहुत जरूरी है। बुनियादी संरचना के संबंध में, 'समर्थकारी परिवेश' एक व्यापक संकेतार्थ रखता है, जिसमें अन्य के साथ सुव्यवस्थित दस्तावेजी और स्थिर प्रशासनिक और विनियामक नीतियों का होना; उद्योग संबंधी विवाद समाधान प्रणाली और एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था शामिल होती है। निःसंदेह, दीर्घावधि वित्त की उपलब्धता और उसकी लागत क्षेत्र की सफलता के लिए जरूरी है। अच्छे लाभकारी कारोबार के लिए वित्त की उपलब्धता कभी भी समस्या नहीं रही है और आंकड़ों से पता चलता है कि बुनियादी संरचनागत क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम लगातार बढ़ा है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि बुनियादी संरचनागत क्षेत्र प्रत्याशाओं को पूरा करने में असफल होता है तो इसका कारण 'समर्थकारी परिवेश और मांग की गुणवत्ता का अभाव होना है न कि मौद्रिक नीतियों की कार्रवाईयें हैं जिनका संबंध निधि की उपलब्धता अथवा उधार लागत से होता है।

13. बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता/आपूर्ति के बारे में माना जाता है कि उपभोक्ता द्वारा इनकी मांग है। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में दर्ज की गई त्वरित गति से वृद्धि ने बिजली, रेलवे, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट, सिंचाई, शहरी और ग्रामीण जल आपूर्ति और साफ-सफाई जैसी भौतिक बुनियादी संरचनाओं पर दबाव बढ़ा दिया है, जिनमें से सभी पहले से ही 'महत्वपूर्ण' घाटे से जूझ रही थी। त्वरित गति से हुए शहरीकरण

ने न केवल नई बुनियादी संरचनागत सुविधाएं सृजित करने को आवश्यक बना दिया है बल्कि, मौजूदा बुनियादी संरचनाओं की गुणवत्ता को उन्नत बनाने को भी आवश्यक बना दिया है। नए कस्बे में बुनियादी संरचनागत विकास प्राथमिकता है ताकि बढ़ती जनसंख्या को इन्हें उपलब्ध कराई जा सके। इस संबंध में, सिंचाई, विद्युतीकरण, सड़क, पीने का पानी, साफ-सफाई, आवास, समुदाय आईटी सेवा, कृषि और बागवानी के उत्पादों के लिए कोल्ड चेन, पोर्ट, अस्पताल इत्यादि जैसी सभी प्रकार की सुविधायुक्त बुनियादी संरचनाओं में नया निवेश होने से घरेलू वृद्धि के लिए काफी संभावना है। इसी प्रकार, स्मार्ट सिटी के रूप में नए औद्योगिक शहरों को विकसित करने और सभी बुनियादी संरचनागत क्षेत्रों में नई पीढ़ी की तकनीकी का विस्तार करने के उद्देश्य से दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर और चेन्नै-बेंगलौर औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं पर सहमति भी बन गई है। इन औद्योगिक कारिडोरों से अपेक्षा है कि ये भारत में सुनियोजित शहरीकरण के लिए प्रमुख साधन प्रदान करेंगे, जिसमें विनिर्माण मुख्य होगा और इस प्रक्रिया में रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक वृद्धि होगी।

बुनियादी संरचनागत सेवाओं का मूल्य-निर्धारण

14. यह आम धारणा है कि उपभोक्ता हमारे देश में विश्व स्तरीय बुनियादी संरचना की अपेक्षा करते हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर विचार करने की जरूरत है कि इन सुविधाओं का उपयोग करने वाला औसत संभाव्य उपभोक्ता इस विश्व स्तरीय बुनियादी संरचना के लिए क्या भुगतान करने का इच्छुक है अथवा क्या वह इसके लिए भुगतान करने की स्थिति में है। इस बात की सीमाएं हैं कि राज्य अपने खुद के पैसे का इस्तेमाल किए बिना अथवा अपने नागरिकों पर बहुत अधिक प्रभार लगाए बिना बुनियादी संरचना का सृजन कर सकता है। इसलिए, बुनियादी संरचनागत सेवाओं, जिन्हें विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा, सरकार-निजी साझेदारी द्वारा अथवा सरकार द्वारा तैयार किया गया है, का इस्तेमाल करने के लिए मूल्य-निर्धारण परियोजना की व्यवहार्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां, मूल्य-निर्धारण बहुत अधिक न हो, वहीं, यह भी महत्वपूर्ण है कि सेवा प्रदाता/परिचालक को उससे फायदा हो और व्यवसायिक प्रतिफल पर निर्भर हो। इसके साथ-साथ, सेवाएं/मूल्य-निर्धारण करार, जो प्राप्त कीमतों में वृद्धि होने के कारण अंतिम प्रयोक्ताओं

को बढ़ी कीमतों को पास करें, में इस प्रकार की अंतर्निहित व्यवस्था हो। इसलिए, सरकारी-आर्थिक सहायताप्राप्त सेवाओं से मूल्य-निर्धारण आधारित बाजार में जाने का प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण बना गया है।

अनुकूल परिवेश

15. जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि किसी भी कोरोबारी संस्था की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण पक्ष अनुकूल परिवेश का होना है। मैं यहां पुनः दोहराना चाहूंगा कि हमारे देश में बुनियादी संरचनागत क्षेत्र के लिए अनुकूल परिवेश न होना एक बहुत बड़ा अभिशाप है। बुनियादी संरचनागत क्षेत्र को वित्त देने संबंधी उच्च स्तरीय समिति, जिसने इस वर्ष जून में अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ने अफसोस जाहिर किया है कि भारी संख्या में बुनियादी संरचनागत परियोजनाएं अनेक अवस्थाओं पर अवार्ड, निर्माण और परिचालन होने में अवरुद्ध अथवा विलंबित पड़ी हैं। रिपोर्ट में उल्लेख है कि ऋण बधाएं, ऊर्जा सयंत्र के लिए ईंधन आपूर्ति की चुनौतियां, वातावरण अनापत्ति, भूमि अधिग्रहण इत्यादि के चलते अनेक परियोजनाएं जो यदि इन बाधाओं का समुचित तरह से समाधान किया गया होता, तो अल्पावधि में पूर्ण हो जाती, रुकी पड़ी हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि बुनियादी संरचनागत परियोजनाएं विवाद से भरी होती हैं इनका धीमी गति से समाधान होने से परियोजनाओं में बहुत देरी होती है। साथ ही, बुनियादी संरचनागत परियोजनाओं के संबंध में परियोजना का कार्यान्वयन भी एक अन्य चिंता का विषय है, जिसके चलते औसतन 20 से 25 प्रतिशत समय अधिक लगता है और लागत भी बढ़ जाती है, कई उप क्षेत्रों में तो 50 प्रतिशत लागत बढ़ जाती है।

16. पिछले दो वर्षों से सरकार द्वारा अनेक दफ्तरशाही अड़चनों और विनियामक बाधाओं, जो बुनियादी संरचनागत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति में बाधा है और कुछ नए मामले में उन्हें अवरुद्ध कर रखा है, को दूर करने का प्रयास किया गया है। अर्थव्यवस्था में निवेश संबंधी माहौल को सुदृढ़ करने की दृष्टि से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निवेश संबंधी कैबिनेट समिति गठित की थी, जिसने मल्टी-ब्रांड रिटेल, विमानन और प्रसारण क्षेत्र में एफडीआई को उदार बनाया था और बिजली, पेट्रोलियम और गैस, सड़क, कोयला इत्यादि क्षेत्र में फास्ट ट्रैक बड़ी निवेश परियोजना के लिए पहल की थी। सरकार ने इन उच्च

आर्थिक दृष्टिकोण और बुनियादी संरचनागत परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में मौद्रिक नीति की भूमिका

मूल्य वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिवालय में एक परियोजना निगरानी समूह भी स्थापित किया था। नई सरकार ने कर संबंधी मामलों को कम करने, रेलवे इन्फ्रस्ट्रक्चर और रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने, त्वरित गति से विनियामक अनुमोदन देने और नौकरशाही विवेकाधिकार को कम करने के लिए उपाय किये हैं; इन सभी में किए गए उपायों से बुनियादी संरचनागत क्षेत्र में निवेशकों की रुचि बढ़ेगी।

(इ) बुनियादी संरचनागत परियोजनाओं को वित्त देने में बैंकों की भूमिका

17. अब, मैं देश में बुनियादी संरचनागत परियोजनाओं को वित्त देने में बैंकों की भूमिका पर चर्चा करना चाहता हूँ। भारत जैसी बैंक प्रधान अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचनागत परियोजनाओं की आवश्यकताओं को वित्त देने की जिम्मेदारी हमेशा बैंकिंग प्रणाली पर होती है और उसमें से भी, विशेष रूप से, समूह के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उन प्रत्याशाओं को पूरा करना होता है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि बजटीय सहयोग, जो बुनियादी संरचनागत परियोजनाओं के कुल व्यय का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा होता है, के बाहर वाणिज्यिक बैंक बुनियादी संरचनागत परियोजनाओं को वित्त देने का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है (लगभग 24 प्रतिशत)।

18. कुल अग्रिम के रूप में बुनियादी संरचनागत क्षेत्र में बैंकों का एक्पोजर मार्च 2010 के 11.8 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2014 में 15.62 प्रतिशत हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह मार्च 2010 के 13.5 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2014 में 17.57 प्रतिशत हो गया है। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों का हिस्सा भी समान अवधि के दौरान क्रमशः 7.6 प्रतिशत से बढ़कर 9.59 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत से काफी बढ़कर 12.13 प्रतिशत हो गया है।

19. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में, जून 2014 में बुनियादी संरचनागत क्षेत्र में सकल एनपीए का स्तर निजी क्षेत्र के बैंकों के 1.36 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 2.4 प्रतिशत हो गया है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में बुनियादी संरचनागत क्षेत्रों के लिए दबावगस्त आस्ति अनुपात (सकल एनपीए और

सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में पुनर्चित अग्रिम) को देखे तो यह अनुपात पुनर्चित अग्रिमों का उच्च स्तर होने के कारण बहुत अधिक अर्थात् 22.58 प्रतिशत रहा है। संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के लिए यह अनुपात 20.06 प्रतिशत रहा है। जब जून 2014 के अंत में हम 10.39 प्रतिशत पर संपूर्ण बैंकिंग के लिए दबावग्रस्त अग्रिमों के स्तर की तुलना करते हैं तो बुनियादी संरचनागत क्षेत्र में दबावग्रस्त आस्तियां बहुत अधिक होती हैं। इस प्रतिकूल प्रवृत्ति के अनेक कारण हैं और मैं इनमें से कुछ कारणों पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करना चाहूंगा :

बुनियादी संरचनाओं को वित्त देने संबंधी प्रमुख मुद्दे

20. (i) देश में बुनियादी संरचनाओं को वित्त देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तथापि, गैर-बैंक स्रोतों (जैसे कि बांड वित्त पोषण) ने इस संबंध में बहुत कम योगदान दिया है जिससे वित्तपोषण की आवश्यकता का बोझ बैंकों को उठाना पड़ा। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि बुनियादी संरचनागत क्षेत्र को तैयार होने में अधिक समय लगने के चलते इस क्षेत्र को ऋण और चलनिधि के संबंध में कुछ विशिष्ट प्रकार का जोखिम पैदा हो गया। आवश्यक कौशल व्यवस्था के संबंध में बुनियादी संरचनागत परियोजना का मूल्यांकन करना बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य प्रकार के ऋणों का पूंजी मूल्यांकन करना पूरी तरह से भिन्न होता है। विशेष कौशल-व्यवस्था न होने से इनमें विशेष रूप से पीएसबी में, आस्तियों की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

(ii) 'बुनियादी संरचनागत' क्षेत्र, विशेष रूप से पीएसबी में दबावग्रस्त आस्तियों का स्तर अधिक होना एक चिंता का विषय है, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण में से अधिकांश ऋण (लगभग 85 प्रतिशत) पीएसबी द्वारा किया गया है जो इस बात को दर्शाता है कि इन बैंकों ने संकट की बाद की अवधि में इस क्षेत्र में अपने एकपोजर को बढ़ाया है।

(iii) जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि अनापत्ति/ अनुमोदन की प्राप्ति देर से होने, एजेन्सियों के बीच

समन्वय में कठिनाई, अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध न होने इत्यादि जैसे अनेक बाह्य कारक बुनियादी संरचनागत परियोजनाओं को देरी से पूरा होने में जिम्मेदार हैं। बिजली/डिस्काम से संबंधित एकपोजर में कई संरचना/ पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्याएं भी हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण को प्रभावित किया है। कोयला ब्लॉक के बारे में हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गया आदेश अल्पावधि में कोयले पर निर्भर रहने वाले क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त दबाव पैदा कर सकता है, किंतु इस समस्या का सफल समाधान होने पर ही स्थाई हल निकलेगा।

(iv) इस क्षेत्र में दबाव का स्तर अधिक होने के चलते, 'जोखिम विमुखता' इस क्षेत्र को आगे बैंकों द्वारा दिए जाने वाले वित्त के प्रवाह को कम करने में भूमिका अदा कर सकती है। इस क्षेत्र को बहुत अधिक वित्त की जरूरत मानते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र से संबंधित निधि प्रवाह बाधा रहित है; तथापि, इसकी आवश्यकता को वित्त देने के व्यवहार्य तरीकों और जोखिम बांटने के साथ-साथ समुचित संरचनाओं के तहत प्राप्त किया जा जाए। पीएसबी में दबाव का स्तर अधिक होने के चलते यह महत्वपूर्ण है कि लोगों की जमाराशि का इस्तेमाल करने वाली ऋणदाता संस्थाओं को बाह्य कारकों से होने वाले जोखिम के अनावश्यक और असहनीय स्तर में न डाला जाए और इस प्रक्रिया में वित्तीय स्थिरता को भी खतरे में न डाला जाए।

(v) एक समुचित वातावरण बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सभी हितधारकों को शामिल कर रहा है ताकि बुनियादी संरचनागत क्षेत्र में एनपीए की समस्या का निराकरण किया जा सके। इस संबंध में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए जा रहे हैं :

- बैंकों को सूचित किया गया कि वे बुनियादी संरचनागत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए संवेदनशीलता जांच/परिदृश्य विश्लेषण करें जिसमें परियोजना विलंब और निर्धारित लागत से

अधिक लागत लगने का विश्लेषण शामिल होना चाहिए।

- रिज़र्व बैंक ने रुग्णता और उपचार उपायों को समय रहते जानने के लिए जनवरी 2014 में अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक प्रणाली की शुरुआत की है।
- निम्नलिखित के लिए दंडात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया गया है: (i) इरादतन चूककर्ता और गैर सरकारी उधारकर्ता जो अपनी भावी उधारियों को अधिक मंहगा बनाते हैं, और (ii) लेखा-परीक्षक, वकील और मूल्यांकनकर्ता जो उधारकर्ताओं और उनकी आस्तियों के बारे में गलत जानकारी देते हैं, जिससे बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आती है।
- ऐसे उधारकर्ता जो अपने डिस्ट्रेस खाते की स्थिति को सीआरआईएलसी में दर्ज करने में असफल रहे हों, खाते की वास्तविक स्थिति को छुपाया हो अथवा निर्धारित समय के भीतर जेएलएफ आयोजित करने में असफल रहे हो, इत्यादि के लिए त्वरित प्रावधानीकरण मानदंडों के रूप में दंडात्मक कार्यवाही करने का भी प्रस्ताव किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को आस्तियों की बिक्री उस स्थिति में प्रोत्साहित करने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जब आस्तियों को पुनर्जीवित करने और वसूली-योग्य मूल्य की समुचित राशि के अवसर मौजूद हों, जो इसे दबावग्रस्त आस्तियों के प्रबंधन के लिए एक सहयोगी प्रणाली बनाता है जिसका अधिक जोर आस्तियों के बेचने पर न होकर आस्ति पुनर्गठन पर हो।

(ई) बुनियादी संरचनागत क्षेत्र को वित्त देने में सहयोग करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई पहल

21. अब, मैं इस क्षेत्र को निधि प्रदान करने के लिए आरबीआई द्वारा हाल ही में किए गए विनियामक उपायों पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। बुनियादी संरचनागत क्षेत्र को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने और देश की वहनीय आवासीय आवश्यकता के लिए कतिपय विनियामक पूर्वक्रयाधिकार को कम करने को ध्यान में रखकर आरबीआई के मौजूदा विवेकसम्मत दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई। जुलाई 2014 से, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सात वर्ष के न्यूनतम परिपक्वता वाले दीर्घावधि बांड जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी है ताकि निम्नलिखित के लिए स्रोत जुटाया जा सके : (i) बुनियादी संरचनागत उप क्षेत्रों की दीर्घावधि परियोजनाएं, और (ii) वहनीय आवास। सीआरआर/एसआरआर को बनाए रखने और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को वित्त देने जैसी विनियामक जरूरतों में रियायत प्रदान की गई।

22. बुनियादी संरचनागत क्षेत्र को बैंकों द्वारा वृद्धिशील ऋण देने में आ रही अड़चनों की पहचान करके बैंकों को अंतरण वित्तपोषण व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है। बुनियादी संरचनाओं को वित्तपोषण देने संबंधी ऋण स्रोतों को बढ़ाने के लिए बुनियादी संरचना ऋण निधि (आईडीएफ) की स्थापना करने की अनुमति प्रदान की गई ताकि इन परियोजनाओं को पुनर्वित्त मिल सके। मौजूदा परियोजनाओं के बैंक ऋणों को पुनर्वित्त करके आईडीएफ में मौजूदा बैंक ऋण के अधिकांश भाग को लेने की अपेक्षा की गई है और उसके बाद बुनियादी परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा नए ऋण के लिए निधि जारी करें। अभी तक तीन इस प्रकार के आईडीएफ -एनबीएफसी रिज़र्व बैंक में पंजीकृत हैं और कार्य कर रहे हैं। न्यास के रूप में संरचित आईडीएफ, जिसे सेबी में पंजीकृत किया जाना है, को भी ऐसा सेट बनाने के लिए अनुमति प्रदान की गई जो बुनियादी संरचनागत परियोजनाओं में निवेशकों को सीधे जोखिम और एक्पोजर लेने की अनुमति प्रदान करती है। म्यूचुअल फंड मार्ग के जरिए इसी प्रकार की ऐसी न्यास आधारित आईडीएफ की भी स्थापना की गई है।

बुनियादी परियोजनाओं के लिए विनियामक सहिष्णुता

23. व्यापक स्तर पर इस बात की स्वीकृति है कि बड़ी परियोजनाओं का कार्यान्वयन एक जटिल समस्या है और अनपेक्षित गतिविधियों

के चलते वित्तीय पूर्णता के समय वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए निर्धारित की गई मूल तारीख (डीसीसीओ) पर वाणिज्यिक परिचालन होने में देरी की संभावना होती है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए रिजर्व बैंक ने विलंबित परियोजनाओं के लिए कतिपय रियायत देने की अनुमति प्रदान की है, जिसमें परियोजनाओं के डीसीसीओ को मूल डीसीसीओ के बाद की अनुमति दी गई है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के संबंध में, डीसीसीओ में संशोधन और समान अथवा अल्पावधि के दौरान (संशोधित भुकतान समय-सीमा की शुरू करने की तारीख और अंतिम तारीख शामिल है) चुकौती समय-सीमा में अनुवर्ती परिवर्तन को पुर्नगठन नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि :

- (i) संशोधित डीसीसीओ बुनियादी संरचनागत परियोजनाओं के लिए वित्तीय पूर्णता के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से दो वर्ष की अवधि के भीतर करने में असफल हो और
- (ii) ऋण से संबंधित अन्य सभी नियम और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

24. इसके अतिरिक्त, यदि नई डीसीसीओ मध्यस्थता कार्यवाहियों अथवा कोर्ट केस के चलते मूल डीसीसीओ से चार वर्ष के भीतर हो, तो बैंकों को 'मानक' आस्ति वर्गीकरण को पुनर्गठित करने और उसे मानक बनाए रखने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार, बुनियादी परियोजनाओं के मामले में मानक आस्ति वर्गीकरण को भी बनाए रखा जा सकता है, यदि नई डीसीसीओ मूल डीसीसीओ से तीन वर्ष के भीतर हो और विलंब ऐसे कारणों के चलते हो जो प्रमोटर्स के नियंत्रण में न हो।

25. रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि डीसीसीओ में विविध संशोधन और समान अथवा अल्पावधि के दौरान (संशोधित भुकतान समय-सीमा की शुरू करने की तारीख और अंतिम तारीख शामिल है) चुकौती समय-सीमा में अनुवर्ती परिवर्तन को पुर्नगठन की एक गतिविधि माना जाएगा बशर्ते कि संशोधित डीसीसीओ निर्धारित समय सीमा के भीतर हो और ऋण के अन्य सभी नियम और शर्तों में कोई परिवर्तन न किया गया हो। इस प्रकार, रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों ने बैंकों की वित्तीय स्थिति से संबंधित विलंबित परियोजनाओं के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पर्याप्त रियायत प्रदान की है।

26. रिजर्व बैंक ने बैंकों को दीर्घावधि परियोजनाओं को वित्त देने की भी अनुमति प्रदान की है जिसमें उन्हें समय-समय पर पुनर्वित्त देने का विकल्प है। इस योजना को 5/25 योजना भी कहा जाता है, उदाहरण के लिए, बैंक 25 वर्ष की परियोजना के लिए ऋण दे सकते हैं जिसमें प्रत्येक वर्ष की अवधि पर रोलओवर की विकल्प है।

समापन

27. अंत में, मैं ऐसे गलत कथनों को अस्वीकार करता हूँ जिसमें बुनियादी क्षेत्र के लिए बैंक वित्त से संबंधित रिजर्व बैंक की नीतियों की समय-समय पर आलोचना की जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि वाणिज्यिक बैंक हमेशा इस क्षेत्र को वित्त देने के मुख्य स्रोत रहे हैं। यह समझ लेना चाहिए कि समष्टि आर्थिक नीतियों की भूमिका क्षेत्र विशेष के लिए निधि प्रवाह में सीमित होती है। रिजर्व बैंक के मौद्रिक और चलनिधि उपायों का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं और बाजार में चलनिधि स्थितियों का प्रबंधन करना है। प्रणाली में ब्याज दर कारकों के एक समस्त समूह का एक कार्य प्राथमिक उद्देश्यों में से एक मुद्रास्फीति भी है। इसलिए, यदि बैंकिंग प्रणाली में उधार लागत काफी मात्रा में कम नहीं होती है, तो इसका कारण लगातार उच्च मुद्रास्फीति का होना होता है।

28. बुनियादी संरचनागत क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए रियायती मौद्रिक नीति और विनियामक सहिष्णुता से संबंधित सभी प्रत्याशाओं का उल्लेख करना जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि इस क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली के एकपोजर का स्तर पहले से ही काफी है और मात्र इसी क्षेत्र भर में असीमित अवसर नहीं है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र को 'सृजन और संवितरण' मॉडल के रूप में भी विभिन्न प्रवृत्तियों से ऋण की जरूरत है ताकि इस कार्य में प्रत्येक सहभागी की क्षमता और विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके। यहां इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि आम तौर पर बुनियादी संरचना का कोई संदर्भ किसी बड़ी नई परियोजना की शुरूआत तक सीमित होता है। तथापि, इसी प्रकार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिनमें ध्यान देने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, ऊर्जा समक्ष भवन का निर्माण करना, संचरण हानियों को कम करना और ग्रामीण भारत को लागत सक्षम वैकल्पित ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराना जो बिजली क्षेत्र में मदद कर सकता है। रिजर्व बैंक के विनियामक दिशा-निर्देश इन वैकल्पित समाधानों में से कई समाधान उपलब्ध कराते हैं।

29. मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि बुनियादी संरचनागत क्षेत्र के अंतर्गत वित्त निवेश में बीमा और पेंशन क्षेत्र में उपलब्ध दीर्घावधि निधि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है और इस संबंध में तत्काल उपाय किए जाए। भारतीय बैंकिंग, विशेष रूप से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण मूल्यांकन और निगरानी क्षमताओं को उन्नत बनाने की आवश्यकता है ताकि परियोजनाओं के वित्तपोषण से संबंधित चुनौतियों का सामना किया जा सके।

30. मैं अपनी बात यह कह समाप्त करना चाहूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि के लिए तैयार है जिसमें बुनियादी संरचनागत क्षेत्र एक महत्वपूर्ण घटक है। सक्षम परिवेश, जिसमें सुदृढ़ विनियामक नीतियां, सुदृढ़ कानूनी प्रणाली और निर्णायक प्रशासनिक प्रणाली शामिल हैं, बनाने से भारत में आने वाले निवेश प्रवाह में काफी वृद्धि हो सकती है। मैं एक बार पुनः सिटिबैंक इंडिया को मुझे इस सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

धन्यवाद!